

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100585

दिनांक: 13/04/2026

लोक सूचना

श्री MS MRS INFRABUILD PRIVATE LIMITED JARIYE AUTH SIGNATORY BHUPENDRA SINGH पुत्र  
श्री VIJAY SINGH जाति RAJPUT निवासी KOOKAS AMER JAIPUR  
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति  
अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

| क्र. सं.   | ग्राम तहसील व जिले का नाम | खातेदार का नाम   | खसरा सं.  | क्षेत्रफल (हेक्टे.) | रूपांतरण क्षेत्रफल (हेक्टे.) |
|------------|---------------------------|--|-----------|---------------------|------------------------------|
| 1.         | सिरसी, जयपुर<br>(जयपुर)   | 1.) MRS<br>INFRABUILD<br>PRIVATE LIMITED<br>हिस्सा पूर्ण जाति<br>(NA) कार्यालय प्लॉट नं<br>315 वैशाली नगर नेमी<br>नगर एक्सटेंशन जयपुर<br>खातेदार | 2709/2690 | 0.2414              | 0.2414                       |
| <b>कुल</b> |                           |  |           |                     | <b>0.2414</b>                |

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा ।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 13-04-2026 को जारी की गयी ।

Newspaper name (as per roster)  
RAJASTHAN PATRIKA & PRATAHKAL

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

